कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2096 /11–सी–FP/UP/Road/35291/2018, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 12 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद चन्दौली के अंतर्गत नौगढ धनकुवारीकलां से केसार सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 22.80 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/58/2021/एफ0सी0/295, दिनांक 10.08.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर का पत्रांक–1355/26–11, दिनांक 10.01.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के उपरोक्त पत्रांक–1355/26–11, दिनांक 10.01.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2096 /11–सी–FP/UP/Road/35291/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0), लो0नि0वि0, चन्दौली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।